



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2010/चैत्र 18, 1932

No. 662]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2010/CHAITRA 18, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

का.आ. 792 (अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव (वित्त), श्री जे. पी. सिंह को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् का सदस्य मनोनीत करती है तथा इस उद्देश्य के लिए, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1820 (अ), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में “धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य” शीर्षक के अंतर्गत, मद सं. 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

“(9) श्री जे. पी. सिंह सदस्य”

प्रधान सचिव (वित्त),

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

[फा. सं. 14011/50/2003-दिल्ली-II]

बी.भामथी, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल अधिसूचना दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 की सं. का.आ. 1820(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा तदन्तर इसमें 14 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1099 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 की

अधिसूचना सं. का.आ. 2158 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 456 (अ), दिनांक 12 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 320(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1872 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 595 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 596 (अ), तथा 15 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1750 (अ) के द्वारा संशोधन किये गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2010

S. O. 792 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri J. P. Singh, Principal Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi to be a member of the New Delhi Municipal Council and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 1820(E), dated the 27th December, 2005, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification under the heading “Members nominated by the Central Government under clause (c) of sub-section (1) of Section 4”, for item number (9) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:—

“(9) Shri J. P. Singh
Principal Secretary (Finance),
Government of National Capital Territory
of Delhi.

Member”

[F. No. 14011/50/2003-Delhi-II]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the
Gazette of India, Extraordinary *vide* number

S. O. 1820 (E), dated the 27th December, 2005 and
subsequently amended *vide* S.O. 1099(E), dated the
14th July, 2006, S.O. 2158 (E), dated the 28th Decem-
ber, 2006, S.O. 456 (E), dated the 26th March, 2007,
S.O. 320 (E), dated the 12th February, 2008,
S. O. 1872(E), dated the 29th July, 2008, S. O. 595 (E),
dated the 2nd March, 2009, S.O. 596 (E), dated the
2nd March, 2009 and S. O. 1750(E), dated the 15th
July, 2009.